भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4292
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों की जवाबदेही

4292. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फसल नुकसान के बावजूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा कंपनियों से बहुत से किसानों को देर से मुआवजा मिला या मुआवजा नहीं मिला है;
(ख) क्या बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को मुआवजा देने में अत्यधिक देरी की बात सामने आई है;
(ग) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में उन किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिन्हे मुआवजा नहीं मिला या जिनके दावे खारिज कर दिए गए;
(घ) क्या सरकार ने इन मामलों में बीमा कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई कार्रवाई की है; और
(ङ) सरकार द्वारा मुआवजे का पारदर्शी और समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मुख्यतः 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है, जहाँ किसानों या संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। बीमा कंपनियाँ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर डिजिक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र उपज के आंकड़ों और योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित दावा गणना सूत्र के आधार पर स्वीकार्य दावों की गणना करती हैं और सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान करती हैं। इसलिए, इस मामले में बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे स्थानीय जोखिमों से होने वाले नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से होने वाली फसलोपरांत नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। किसानों को संबंधित बीमा कंपनी, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों/बैंकों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) या PMFBY ऐप आदि पर नुकसान की सूचना ऑनलाइन देनी होती है। नुकसान और दावों की सीमा का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियाँ योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नुकसान की इन सूचनाओं की जाँच करती हैं और यदि ये दावे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो बीमा कंपनियाँ ऐसे दावों को अस्वीकार कर सकती हैं।

अधिकांश दावों का निपटारा योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा अर्थात् बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। हालांकि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से (क) सब्सिडी में राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी के कारण (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों के गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न हो पाना/भुगतान में देरी या दावों का कम भुगतान (ग) उपज डेटा में विसंगति तथा उसके कारण राज्य सरकार और बीमा कंपनियों आदि के बीच विवाद, से संबंधित शिकायतें थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का योजना के प्रावधानों के अनुसार समाधान के बाद निपटान किया जाता है। दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, NCIP पर उत्पन्न 1.88 लाख करोड़ रुपये के कुल दावों में से, किसानों को पहले ही 1.83 लाख करोड़ रुपये (97.34%) का भुगतान किया जा चुका है। शेष दावे राज्य सरकार से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त न होने, भुगतान न करने/देरी से भुगतान करने/बैंकों द्वारा गलत प्रस्ताव देने तथा उपज संबंधी आंकड़ों में विवाद आदि के कारण बकाया हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, भुगतान किए गए दावों और लाभान्वित किसानों अर्थात् दावे प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के डायरेक्ट ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे (क्लेम) की राशि का ट्रांसफ़र सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के सिंगल सोर्स के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक विशिष्ट मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष आनुपातिक रूप से दावों का भुगतान किया जा सके।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार, खरीफ 2025 सीजन से संबंधित राज्य सरकारों हेतु प्रीमियम में अपने हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, CCE-Agri App के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE. के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी पर 12% जुर्माने का प्रावधान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर स्वतः गणना किया जाता है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, भुगतान किए गए दावों और लाभान्वित किसानों अर्थात् दावे प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का राज्य-वार विवरण
(दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	2022-23			2023-24			2024-25 (खरीफ 2024 तक)			कुल		
	बीमित किसान आवेदनों की संख्या	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित आवेदनों की संख्या	बीमित किसान आवेदनों की संख्या	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित आवेदनों की संख्या	लाभान्वित आवेदनों की संख्या	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	बीमित किसान आवेदनों की संख्या	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित आवेदनों की संख्या
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	171	-	7	187	0.02	86	150	-	39	508	0.02	132
आंध्र प्रदेश	1,23,87,364	546.73	6,29,229	1,31,29,912	-	-	85,43,555	-	-	3,40,60,831	546.73	6,29,229
असम	4,89,981	19.98	26,240	7,93,506	58.21	99,561	7,61,951	8.89	20,817	20,45,438	87.07	1,46,618
छत्तीसगढ़	77,30,456	534.27	15,31,966	81,25,985	588.25	15,00,347	67,56,016	111.45	2,50,598	2,26,12,457	1,233.97	32,82,911
गोवा	403	0.00	5	234	0.00	2	216	0.01	64	853	0.01	71
हरियाणा	14,51,535	2,518.66	7,52,993	1,02,67,729	265.23	25,15,329	94,27,621	262.63	17,24,053	2,11,46,885	3,046.52	49,92,375
हिमाचल प्रदेश	2,67,618	69.06	1,39,516	2,78,055	131.70	1,07,964	1,09,605	0.00	31,257	6,55,278	200.77	2,78,737
जम्मू एवं कश्मीर	91,582	6.33	17,903	2,45,757	34.62	73,579	1,47,346	23.25	72,354	4,84,685	64.20	1,63,836
झारखंड	-	-	-	-	-	-	25,48,512	-	31,825	25,48,512	-	31,825
कर्नाटक	27,18,915	2,386.06	18,40,873	30,77,232	3,349.62	23,60,145	30,48,823	1,163.81	10,25,637	88,44,970	6,899.50	52,26,655
केरल	1,46,546	183.01	1,30,053	1,74,102	47.68	28,695	92,743	-	-	4,13,391	230.69	1,58,748
मध्य प्रदेश	1,77,32,045	1,049.47	36,88,740	1,77,95,826	776.16	39,43,417	97,17,150	-	32,64,868	4,52,45,021	1,825.63	1,08,97,025
महाराष्ट्र	1,07,33,625	5,390.90	76,44,275	2,41,73,494	9,522.62	1,32,27,119	1,64,14,758	3,588.69	73,92,889	5,13,21,877	18,502.22	2,82,64,283

मणिपुर	4,066	1.62	3,395	5,073	2.00	4,170	4,619	-	-	13,758	3.62	7,565
मेघालय	337	0.01	68	38,569	14.04	14,398	47,749	9.49	18,952	86,655	23.54	33,418
ओडिशा	80,20,747	581.04	17,83,312	1,41,60,653	232.56	11,49,287	1,37,81,469	112.05	7,30,087	3,59,62,869	925.65	36,62,686
पुदुचेरी	38,274	3.55	7,263	42,344	0.92	5,846	8,781	0.52	5,857	89,399	4.99	18,966
राजस्थान	3,90,71,541	4,360.35	1,16,18,304	3,90,16,977	3,062.62	83,11,462	2,15,31,458	0.00	27,20,571	9,96,19,976	7,422.96	2,26,50,337
सिक्किम	5,025	-	-	3,104	-	23	489	-	-	8,618	-	23
तमिलनाडु	61,37,961	917.01	19,37,875	54,56,594	759.68	17,00,553	3,15,826	60.37	1,48,721	1,19,10,381	1,737.06	37,87,149
त्रिपुरा	3,56,201	2.03	20,515	3,65,378	1.88	10,905	8,231	0.46	3,554	7,29,810	4.36	34,974
उत्तर प्रदेश	42,83,991	977.14	12,51,998	60,68,754	467.70	11,84,713	50,72,290	279.42	14,41,310	1,54,25,035	1,724.26	38,78,021
उत्तराखंड	2,82,068	207.94	1,99,847	2,27,291	347.07	1,71,124	1,28,244	153.47	92,045	6,37,603	708.48	4,63,016
कुल	**11,19,50,452**	**19,755.17**	**3,32,24,377**	**14,34,46,756**	**19,662.59**	**3,64,08,725**	**9,84,67,602**	**5,774.51**	**1,89,75,498**	**35,38,64,810**	**45,192.26**	**8,86,08,600**

- कार्यान्वित नहीं किया गया/बहुत कम आंकड़ा.
